क्रमांक 1731-3 एस-77/20257

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी उपायुक्त,
आयुक्त, अम्बाला/हिसार मण्डल
दिनांक 26 जुलाई, 1977

विषय :—जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 7102-3 एस-75/27446, दिनांक 8-9-75 की ओर ध्यान दिलाते हुए मुझे आप से यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि जहां तक (1) कार्यकारी अभियन्ता, यांत्रिक जन स्वास्थ्य मण्डल अम्बाला छावनी (2) कार्यकारी अभियन्ता भूगर्भ जल अनुसंधान जन स्वास्थ्य मण्डल अम्बाला छावनी (3) कार्यकारी अभियन्ता योजना एवं अनुसंधान जन स्वास्थ्य मण्डल अम्बाला शहर व (4) कार्यकारी अभियन्ता, रूपांकन एवं योजना जन स्वास्थ्य मण्डल रोहतक, जिन का कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में पड़ता है, का संबंध है संदर्भाधीन पत्र में निहित हिदायतें लागू नहीं समझी जायेंगी। इन चारों कार्यकारी अभियन्ताओं की गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे यह निर्णय लिया गया है कि इन कार्यकारी अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर केवल उसी जिला के उपायुक्त द्वारा निर्धारित तीन पहलुओं पर टिप्पणी रिकार्ड की जाए, जिस जिले में इन कार्यकारी अभियन्ताओं का मुख्यालय (Headquarter) स्थित है।

भवदीय
प्रेम नाथ टंडन
अवर सचिव, प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार जन स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।